कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—

क्र. /12840 /भू–अर्जन/2022, कोरबा, दिनांक 26/10/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है–

अनुसूची

भूमि का प्रकार

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे.में.)	धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	देवरी/06	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 25	कालम सलग्न (कुल रकबा 1.133हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु

ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
4	5	4	5	4	5	4	5
816/2	0.089	822/2	0.065	829/1	0.020	835/1ग/2	0.008
816/1	0.041	823/5	0.024	840	0.024	835/1क	0.065
835/1च	0.020	824/1	0.032	838/1	0.041	877/2	0.065
823/4	0.008	821	0.069	835/1छ	0.028	877/5	0.004
850/1, 852	0.230	825	0.049	835/1ठ	0.036	कुल योग	1.133
849	0.061	826	0.028	835/1घ	0.032		
822/1	0.049	827	0.041	835/1ड़	0.004		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप मे किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला–कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा, जिला – कोरबा (छ. ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग